


प्रशान्त कुल्हार बनाम कर्णावती वगै०
मु०नं० 199/2018
दावा अ०धा० 53

दिनांक -18.02.2020 वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 450/187, 451/187 वाके ग्राम खेड़ला का तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./2019/3340 दिनांक 10.12.2019 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकाराने को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरममद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिव हो। पत्रावली फ़ैसल शुमारु होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।


(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

